



DR. BHIMRAO AMBEDKAR LAW UNIVERSITY, JAIPUR

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर

(A State Funded University of Rajasthan)

Plot No. 08, Dehmi Kalan, JDA Institutional Scheme, Bagru,

Tehsil- Sanganer, Distt. Jaipur-303007 (Rajasthan)

www.alujaipur.ac.in

e-Mail: coe@alujaipur.ac.in

क्रमांक: प.4(3)परीक्षा/अविवि/2025-26/2112

दिनांक 28-07-2026

आदेश

अनुग्रह अवसर (Mercy Chance)

विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद की बैठक दिनांक 16.07.2026 की कार्यसूची क्रमांक 1 व प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 17.07.2026 की कार्यसूची क्रमांक 1 के निर्णय की पालना में, विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ लॉज (एलएल.बी.) वार्षिक पद्धति पाठ्यक्रम के ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो सत्र 2020-21 में प्रवेशित हुए हैं व पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष तक की कक्षाएं नियमित विद्यार्थी के रूप में पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन कतिपय कारणों से पाठ्यक्रम के बकाया प्रश्न-पत्र(त्रों) को उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं व उनकी उपाधि पूर्ण नहीं हुई है, के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों हेतु पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित अधिकतम समय-सीमा (5 वर्ष) में शिथिलता प्रदान करते हुए एक (01) विशेष अनुग्रह अवसर (Mercy Chance) दिया जाकर सत्र 2025-26 की वार्षिक पद्धति परीक्षा में सम्मिलित होने का विशेष अवसर प्रदान किया जाता है। इस विशेष अनुग्रह अवसर (Mercy Chance) में अभ्यर्थी अपनी संबंधित कक्षा के बकाया प्रश्न-पत्र(त्रों) अथवा कक्षावार न्यूनतम 48 प्रतिशत पात्रता शर्त पूर्ण नहीं कर सकने की दशा में संबंधित कक्षा के अधिकतम 4 प्रश्न-पत्र, की परीक्षा हेतु संबंधित/इच्छित प्रश्न-पत्रों का चयन करते हुए परीक्षा फार्म भरने के पात्र होंगे।

इस विशेष अनुग्रह अवसर (Mercy Chance) में बैचलर ऑफ लॉज (एलएल.बी.) वार्षिक पद्धति पाठ्यक्रम के सत्र 2020-21 में प्रवेशित अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, जो कि उक्त उल्लिखित परिस्थिति व शर्तों से बाध्यकारी हैं। इस विशेष अनुग्रह अवसर के परीक्षा फार्म पृथक से खोले जा रहे हैं। अतः ऐसे समस्त अभ्यर्थी विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरकर निर्धारित समय सीमा में अपने संबंधित महाविद्यालय में परीक्षा फार्म की हार्डकॉपी वांछित दस्तावेजों के साथ जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस विशेष अनुग्रह अवसर (Mercy Chance) के परीक्षा फार्म भरने व उक्त उल्लिखित यथोचित कार्यवाही पूर्ण ना करने वाले, इस विशेष अनुग्रह अवसर परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले व उपस्थित होकर अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।

यह विशेष अनुग्रह अवसर सत्र 2020-21 में प्रवेशित एलएल.बी. पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों के लिए ही लागू है। एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इस विशेष अनुग्रह अवसर आदेश को भावी प्रकरणों में नजीर (Precedent) के रूप में पेश नहीं किया जा सकेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. नीरज जैन)

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक: प.4(3)परीक्षा/अविवि/2025-26/2113-2121

दिनांक 28-07-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अधिष्ठाता, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध विधि महाविद्यालय, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर – को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने महाविद्यालय के ऐसे समस्त योग्य अभ्यर्थियों को तदनुसार सूचित करना व समयसीमा अनुसार परीक्षा फार्म भराया जाना व भरे गये फार्मों को उचित जांच पश्चात् निर्धारित समय सीमा में विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. नियंत्रक वित्त, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप-निदेशक), अविवि, जयपुर – विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. सहायक कुलसचिव (अकादमिक), अविवि, जयपुर – आगामी विद्या परिषद व प्रबन्ध बोर्ड में कार्यवाही प्रतिवेदन के रूप में (ATR) प्रस्तुत करें।
6. निजी सहायक, कुलगुरु/कुलसचिव, अविवि, जयपुर।
7. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल।

परीक्षा नियंत्रक